लोकहित प्रकटीकरण तथा सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

पीआईडीपीआई क्या है?

- पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है

पीआईडीपीआई शिकायत कैसे दर्ज करें?

- शिकायत सचिव, सीवीसी को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि अंदर बंद लिफाफे में लिखे पत्र में अंकित किया जाए

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश?

- जो शिकायतें शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनकी पहचान के खुलासे का जोखिम बढ़ जाता है।
- शिकायतें खुले लिफाफे में या सार्वजनिक पोर्टल पर प्रेषित नहीं की जाए।
- पहचान उजागर करने वाले दस्तावेज़ शिकायत में संलग्न या उल्लिखित नहीं किए जाने चाहिए, जैसेकि आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज।
- पत्र के अंदर नाम और पता अंकित होना चाहिए
- शिकायत की पुष्टि हेतु लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता अंकित होना चाहिए।
- जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
- गुमनाम/छद्मनाम पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी हेतु देखें: https://www.cvc.gov.in

लोकहित प्रकटीकरण तथा सूचना प्रदाता संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

पीआईडीपीआई क्या है?

- पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है

पीआईडीपीआई क्या है?

- पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है

पीआईडीपीआई शिकायत कैसे दर्ज करें?

शिकायत सचिव, सीवीसी को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए।

शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि अंदर बंद लिफाफे में लिखे पत्र में अंकित किया जाए

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश?

- जो शिकायतें शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनकी पहचान के खुलासे का जोखिम बढ़ जाता है।
- शिकायतें खुले लिफाफे में या सार्वजनिक पोर्टल पर प्रेषित नहीं की जाए।
- पहचान उजागर करने वाले दस्तावेज़ शिकायत में संलग्न या उल्लिखित नहीं किए जाने चाहिए, जैसेकि आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज।
- पत्र के अंदर नाम और पता अंकित होना चाहिए
- शिकायत की पुष्टि हेतु लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता अंकित होना चाहिए।
- जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
- गुमनाम/छद्मनाम पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी हेतु देखें: https://www.cvc.gov.in